

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2020 — वैशाख 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(25).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा रेक्टीफाईड स्पिरिट (आर.एस.) के परिवहन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार परिवहन फीस दिनांक 01-04-2020 से विहित करती है :-

परिवहन फीस

रेक्टीफाईड स्पिरिट (आर.एस.) — रुपये 1500/- प्रति अनुज्ञा पत्र, परिवहन की जाने वाली मात्रा पर विचार किये बिना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(25).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(25), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION

No. F 10-34/2020/CT(EX)/V(25).— In exercise of the powers conferred in clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915), the State Government hereby prescribes the Transport fees for the transport of Rectified Spirit (R.S.) to be applicable from 01-04-2020 as follows:-

TRANSPORT FEES

Rectified Spirit (R.S.)- Rs. 1500/- per permit, irrespective of the quantity to be transported

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(26).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 14 के उप-नियम (2) में शब्द समूह "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द समूह "पंद्रह सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जावे।
2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(26).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(26), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION

No. F 10-34/2020/CT(EX)/V(26).— In exercise of the powers conferred in clause (d),(e),(f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915) and sub-rule (13) of Rule-18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government hereby prescribes following amendment in Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, i.e.

AMENDMENT

In above Rule:-

1. Substitute—"Rupees One ThousandFive hundred" in place of "RupeesFive hundred" word-group in sub-rule (2) of rule-14.
2. This amendment shall be applicable from 1st April 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(27).— छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्दिष्ट करती है कि एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी (स्पिरिट मदिरा हेतु) द्वारा बोतल भराई फीस के लिये बोतलों पर (बोतल में सम्मिलित है मेग्नम, क्वार्ट, पिन्ट, या निप बोतल) रुपये 6.00 प्रति प्रूफ लीटर की दर से देय विहित करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(27).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(27), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION

No. F 10-34/2020/CT(EX)/V(27).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule 18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 the State Government hereby prescribes the bottling fees for the bottles (bottle includes Magnam, Quart, Pint or Nip bottle) for F.L. 9 licensee (For Spirit) as Rupees 6 per proof litre.

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(29).— छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (माल्ट) को बोतल में भरने के लिए एफ.एल.9क अनुज्ञप्तिधारियों हेतु निम्नानुसार बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस विनिर्दिष्ट करता है :-

1. एफ.एल.9क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय विशेष बोतल भराई फीस—

क्र.	विदेशी मदिरा का प्रकार	विशेषाधिकार (फ्रंचाईज) व्यवस्था के अधीन भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल भराई (बॉटलिंग) का विवरण	देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस)
1	माल्ट हेतु (माल्ट में बीयर, ऐल, स्टाऊट, पोर्टर तथा साइडर सम्मिलित है)	छत्तीसगढ़ राज्य में ही विक्रित होने वाली माल्ट मदिरा की विशेष बोतल भराई हेतु।	रुपये 10.00 प्रति बल्क लीटर

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(29).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(29), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION

No. F 10-34/2020/CT(EX)/V(29).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule (18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government prescribes the bottling fees for bottling of Indian Made Foreign Liquor (Malt) for F.L.9(a) licensees as follows:-

1. Special Bottling fees payable by F.L.9(a) licensee :-

S.No.	Type of foreign liquor	Description of Indian Made Foreign Liquor to be bottled under franchise arrangement	Bottling fees payable
1	For Malt liquor (including Beer, Ale, Stout, Porter and Cider)	For special bottling of Malt liquor to be sold in Chhattisgarh only.	Rs. 10.00 per bulk litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(30).— छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (माल्ट) को बोतल में भरने के लिए एफ.एल.9 अनुज्ञापिधारियों हेतु निम्नानुसार बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस विनिर्दिष्ट करता है :-

1. एफ.एल.9 अनुज्ञापिधारी द्वारा देय बोतल भराई फीस—

क्र.	विदेशी मदिरा का प्रकार	भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल भराई (बॉटलिंग) का विवरण	देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस)
1	माल्ट मदिरा हेतु (माल्ट में बीयर, ऐल, स्टाउट, पोर्टर तथा साइडर सम्मिलित है)	(क) छत्तीसगढ़ राज्य में ही विक्रित होने वाली माल्ट मदिरा की बोतल भराई हेतु।	रुपये 5.00 प्रति बल्क लीटर

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(30).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(30), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION

No. F 10-34/2020/CT(EX)/V(30).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule (18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government prescribes the bottling fees for bottling of Indian Made Foreign Liquor (Malt) for F.L.9 licensees as follows:-

1. Bottling fees payable by F.L.9 licensee :-

S.No.	Type of Foreign Liquor	Description of Indian Made Foreign Liquor to be bottled	Bottling fees payable
1	For Malt liquor (including Beer, Ale, Stout, Porter and Cider)	(a) For bottling of Malt liquor to be sold in Chhattisgarh only.	Rs. 5.00 per bulk litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(31).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) के परिवहन के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार परिवहन फीस दिनांक 01 अप्रैल 2020 से विहित करती है, अर्थात् :-

परिवहन फीस

एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) :- रुपये 1500/- प्रति अनुज्ञा पत्र, परिवहन की जाने वाली मात्रा पर विचार किए बिना।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(31).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(31), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION

No. F 10-34/2020/CT(EX)/V(31).— In exercise of the powers conferred in clause (d),(e),(f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915), the State Government hereby prescribes fee in respect of transport of Extra Neutral Alcohol (E.N.A.) from 1st April, 2020 as per given below:-

TRANSPORT FEE

Extra Neutral Alcohol(E.N.A.) :- Rs.1500/- per permit irrespective of the quantity to be transported.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(32).— छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा विदेशी मदिरा (माल्ट) के आयात पर, आयात फीस नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (3) के अनुसार निर्दिष्ट दर विहित करती है :-

सारिणी

क्र.	विदेशी मदिरा का प्रकार	आयात फीस की दर
1	2	3
1	माल्ट, लिकर जिसमें बियर, ऐल, पोर्टर, स्टाऊट एवं साइडर सम्मिलित है, हेतु	रुपये 12/- प्रति बल्कलीटर

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(32).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(32), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION

No. F 10-34/2020/CT(EX)/V(32).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule(18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, and on supersession of earlier notification in this context, the State Government prescribes the import fees on the import of foreign liquor (malt) as shown in column (3) of the table below:-

TABLE

S.No.	Kind of Foreign Liquor	Rate of Import fee
1	2	3
1	For Malt liquor including Beer, Ale, Porter, Stout and Cider	Rs.12/- per bulk litre.

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(33).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, विदेशी मदिरा के ऐसे प्रत्येक नामपत्र (लेबल) के लिए, जिसका छत्तीसगढ़ में विक्रय किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में परिवहन किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में आयात किया जाय या जिसका छत्तीसगढ़ के निर्यात किया जाए, फीस के रूप में रुपये 3,00,000/- (रुपये तीन लाख) केवल विहित करती है।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(33).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(33), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION

No. F 10-34/2020/CT(EX)/V(33).— In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d),(e),(f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915) pursuance of the provisions of sub-rule (3) or rule 9 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession to the notification issued in the past in this behalf, the State Government hereby prescribes Rs. 3,00,000/- (Rupees Three lakh) only, as Registration fee for each Label of Foreign Liquor which may be sold in Chhattisgarh or transported into Chhattisgarh or imported into Chhattisgarh and exported from Chhattisgarh.

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(34).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-7/2011/वा.कर(आब.)/पांच (8) दिनांक 05 फरवरी 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा विदेशी मदिरा के निर्यात पर निर्यात फीस के रूप में रुपये 1.00/- (रुपये एक) प्रति प्रूफलीटर विहित करती है।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(34).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(34), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION

No. F 10-34/2020/CT(EX)/V(34).— In Exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915) read with sub-rule (13) of rule 18 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession to this Department Notification No. F 10-7/2011/CT(Ex.)/V (8)- dated 5th February, 2011. The State Government hereby prescribes Rs. 1.00/- (Rupees One) Per proof litre, as Export fee on export of foreign liquor.

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.